सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 80 राँची, गुरूवार, 16 फरवरी, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

14 फरवरी, 2023

विषय : **माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) मे पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक-01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवा निवृति के उपरांत देय पेन्शन आदि के भुगतान के स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या-परि.वि.(परि.नि.)-08/2022-122--झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित वाद (Civil Appeal No.-7290/94) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में समझौता हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127, दिनांक-18.12.2003 एवं अधिसूचना संख्या-54, दिनांक-14.01.2004 द्वारा दिनांक-30.06.2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्त्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति (Arbitration Committee) के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-7290/94 में पारित आदेश दिनांक-12.08.2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24.08.2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है **कि In paragraph 9 of the report, it averred as under 9. "It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"**

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.10.2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया। दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अन्य कर्मियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर किये गये। सभी अवमाननावादों को पूर्व से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सम्मिलित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.04.2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है- **"It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind"**

उक्त आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को निरस्त कर दिया गया ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों तथा दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विभिन्न संकल्पों/आदेशों के माध्यम से विभिन्न चरणों में यह कार्रवाई पूर्ण की गई है, जिसका विवरण निम्नरूपेण है &

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से सेवा प्राप्त कुल 1124 कर्मियों में से दिनांक-24.08.2011 को झारखण्ड राज्य में 791 कर्मी कार्यरत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी 791 कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में परिवहन विभाग के निम्नांकित विभिन्न संकल्पों/आदेशों द्वारा निम्न रूपेण समायोजित किया गया है -

(क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-20.05.2013 में लिए गये निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598, दिनांक-06.06.2013 सह-गजट संख्या-362, दिनांक-07.06.2013 द्वारा दिनांक-01 मार्च, 2013 को कार्यरत 609 कर्मियों की नियुक्ति (समायोजन) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की सेवा में रिक्त पदों के लिए विहित अहर्ता यथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले कुल 340 कर्मियों को विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-127-133, दिनांक-31.10.2013 द्वारा नियुक्ति (समायोजित) किया गया ।

(ख) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25.08.2014 में लिए गये निर्णय के आलोक में असमायोजित वैसे निगम कर्मियों जो विहित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे उनके मामले में विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा संकल्प संख्या-714, दिनांक-27.08.2014, सह-गजट संख्या-406, दिनांक-28 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया। इस संकल्प के आलोक में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-104, दिनांक-29.08.2014 एवं आदेश संख्या-105, दिनांक-01.09.2014 द्वारा कुल 203 कर्मियों की नियुक्ति (समायोजन) किया गया।

(ग) पुनः श्री तपेश कुमार सिंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से प्राप्त मंतव्य के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-132, दिनांक-14.02.2015 सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को आवश्यकतानुसार क्षान्त करते हुए दिनांक-24.08.2011 को निगम में कार्यरत कुल 248 कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत भी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति (समायोजन) की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 248 कर्मियों को 24.08.2011 की तिथि से समायोजित किया गया ।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में यह अंकित किया गया है कि **"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निर्देशों को अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अत: संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।"**उक्त निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-273, दिनांक-09.03.2015 सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम

के कर्मियों के नियुक्ति(समायोजन) हेतु निर्गत सभी पूर्व संकल्पों के आलोक में निर्गत तत्संबंधी कार्यालय आदेशों में निर्गत **"नियुक्ति"** संबंधी शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में **"समायोजित"** समझे जाने एवं इनके अनुमान्य वेतनादि अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के आलोक में पुन: संकल्प संख्या-480, दिनांक-04.04.2016 द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प गजट संख्या-362, दिनांक-07.06.2013 एवं संकल्प गजट संख्या-406, दिनांक-28.08.2014 के द्वारा समायोजित कर्मी भी **दिनांक-24.08.2011 से ही राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जायेंगे** संबंधी निर्णय लिया गया है ।

4. इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा अबतक निर्गत संकल्पों के आलोक में दिनांक-24.08.2011 से उस समय कार्यरत सभी 791 निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित मान लिया गया है एवं इनके अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, परन्तु दिनांक-24.08.2011 को इन्हें देय वेतनमान एवं समायोजन के पश्चात् देय सेवानिवृति लाभों के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्णय/आदेश संसूचित नहीं किया जा सका है। इस हेतु विभिन्न जिलों/कार्यालयों से स्पष्ट दिशा-निर्देश/मार्ग दर्शन की मांग परिवहन विभाग से की जा रही है। इस आलोक में दिनांक-24.08.2011 से समायोजित कर्मियों को देय वेतनमान/सेवानिवृति लाभ इत्यादि के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है ।

5. (क) निगम कर्मियों के समायोजन के संबंध में निर्गत प्रथम संकल्प संख्या-598, दिनांक-06 जून, 2013 सह-गजट संख्या-362, दिनांक-06 जून, 2013 में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे -

(संकल्प की कण्डिका-10) - सभी समायोजित कर्मी नयी पेंशन योजना (NPS) जो दिसंबर, 2004 से प्रभावी है, से आच्छादित होंगे। समायोजन के पूर्व अवधि के एवज में क्या-क्या सेवानिवृति लाभ देय होंगे इसके लिए अलग से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाएगा ।

(संकल्प की कण्डिका-11) - उल्लेखित कर्मियों का समायोजन संकल्प निर्गत तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

(संकल्प की कण्डिका-12) - उल्लेखित कर्मियों के समायोजन के उपरांत संबंधित कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें देय होगी। संबंधित कर्मियों का राज्य सरकार में सेवा समायोजित हो जाने पर वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा देय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण तथा निर्धारण कर वेतन भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ समायोजित पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा ।

(ख) द्वितीय संकल्प संख्या-714, दिनांक-27 अगस्त, 2014, सह-गजट संख्या-406, दिनांक-28 अगस्त, 2014 द्वारा समायोजन हेतु निर्धारित विहित शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र को शिथिल करने का निर्णय लिया गया ।

(ग) तृतीय संकल्प संख्या-132, दिनांक-14 फरवरी, 2015, सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा दिनांक-24.08.2011 से 248 सेवानिवृति/मृत कर्मियों को समायोजित कर राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें दिनांक-24.08.2011 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया ।

(घ) चतुर्थ संकल्प संख्या-273, दिनांक-9 मार्च, 2015, सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा सभी संकल्पों/आदेशों में निर्गत नियुक्ति शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में समायोजित समझे जाने एवं अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

(ङ) पंचम संकल्प संख्या-480, दिनांक-04.04.2016 द्वारा सभी समायोजित कर्मियों को दिनांक-24.08.2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जाने का निर्णय लिया गया है ।

इस प्रकार सभी समायोजित कर्मी को राज्य सरकार की सेवा में दिनांक-24.08.2011 से समायोजित कर लिया गया है एवं इस तिथि से इन्हें अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

6. उपरोक्त के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S. Sharma & Ors में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.08.2011 एवं दिनांक-07.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक-24.08.2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया था ।

7. W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto अन्य(64) v/s The State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.03.2016 के पारित आदेश के विरूद्ध L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 & 4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक-29.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का Opperative Portion "We accordingly, hold the appellants and the other similarly situated employees, entitled to the benefits of 5th Pay Revision Committee recommendations w.e.f. 01.07.2004, i.e., after the dissolution of the Corporation on 30.06.2004, and 6th Pay Revision Committee recommendations from the dates applicable to the other employees of the State of Jharkhand. The respondent State is accordingly, directed to calculate the dues of the appellants and the other similarly situated employees, **including their retiral dues accordingly**, and to make the payment of all their dues, including the retirement benefits, positively within a period of six months from today".

8. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 दायर किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.03.2021 को आदेश पारित किया गया। आदेश का Operative Portion "Heard learned senior counsel for the petitioners. We are not inclined to interfere with the impugned order. The special Leave Petition is, accordingly dismissed".

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-01.03.2021 के आदेश के विरूद्ध Review Petition R.P.(C) No. 785/2021 in SLP(C) No. 3386/2021 दायर किया गया, जो दिनांक-18.08.2021 को Disposed कर दिया गया। उक्त का Operative Portion "The review petition is dismissed in terms of the signed order".

10. प्रस्तुत मामले में दिनांक-10.12.2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Curative याचिका दायर की गयी, जिसका Diary No.-30713/21 है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Curative Petition में पारित न्यायादेश प्रस्तुत मामले में प्रभावी रहेगा ।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰-603, दिनांक-19.07.2016 को संशोधित करते हुए राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के सम्बंध में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं॰-27, दिनांक-25.01.2022-सह-गजट सं॰-17, दिनांक-27.01.2022 द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

i) माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में निगम कर्मी/समायोजित निगम कर्मियों का 5th वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक-01.07.2004 से देय होगा तथा षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रभावी तिथि से अनुमान्य होगा। बकाया वेतनादि का भुगतान वित्त विभाग/संबंधित जिला लेखा पदाधिकारी से वेतन निर्धारण का सत्यापन के पश्चात् ही किया जायेगा ।

ii) वेतन पुनरीक्षण हेतु वित्त विभाग द्वारा गठित फिटमेंट कमिटि या वित्त विभाग के द्वारा गठित कमिटि के अनुशंसा के आलोक में निगम कर्मियों का दावे का निष्पादन संबंधित विभाग एवं कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।

iii) विभिन्न विभागों/कार्यालयों में समायोजित निगम कर्मी द्वारा वेतन पुनरीक्षण के लिए वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य दावों का निपटरा हेतु सेवापुस्त एवं वांछित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।

iv) निगम कर्मी विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में समायोजित किये गये हैं और उनका वेतनादि का निर्धारण पंचम एव उत्तरोत्तर वेतन पुनरीक्षण का वित्त विभाग/जिला लेखा पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन के आलोक में भुगतान की कार्रवाई की जायेगी ।

v) वित्तीय अतिरिक्त अधिभार होने के कारण भुगतान के पूर्व अतिरिक्त बजटीय उपबंध की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें अनुमानित राशि लगभग रू॰ 140 करोड़ व्यय होने की संभावना है ।

vi) समायोजित निगम कर्मियों के सेवानिवृति के उपरांत देय उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 दिवस के समतुल्य राशि का भुगतान पुनरीक्षित वेतन के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा ।

vii) निगम कर्मियों का देय अंतर राशि का भुगतान माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक-01.07.2004 के प्रभाव से दिया जायेगा। अंतर राशि की भुगतान के क्रम में पूर्व में संबंधित कर्मी द्वारा लिये गये अधिक या कम वेतनादि को सामंजित (Adjust) कर लिया जायेगा ।

viii) समायोजित निगम कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया वेतनादि का भुगतान संबंधित समयोजित कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।

ix) वैसे निगम कर्मी जो सरकार की सेवा में समायोजित हो गये परन्तु अपने सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि तक पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं कर सके, उनको देय राशि का भुगतान संबंधित प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-प्रमण्डलीय प्रबंधक के द्वारा किया जायगा, जहाँ पर वह निगम कर्मी के रूप में कार्यरत थे। ऐसे कर्मी जिन्होंने समायोजन के पश्चात् पदस्थापन स्थल पर योगदान किया हो, उन्हें देय राशि का भुगतान संबंधित पदस्थापन विभाग/कार्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

12. W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi दायर वाद में यह Prayer किया गया है:- "For further issuance of an appropriate writ/ order/ direction commanding upon the concerned respondents to forthwith allow all benefits to the petitioners including Earned Leave Encashment, gratuity/ Arrears of Salary/ Pension revised in terms of the 5th and 6th Pay Commissions and other benefits admissible in law "

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक-19.12.2019 को पारित न्यायादेश का Operative portion -

"(i) As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, I am of the considered opinion that the petitioners are **entitled for pension taking into consideration the past service rendered by them**. Benefits accruing to the petitioners by virtue of their earlier services be also given to them within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order.

(ii) The writ petitions are allowed to the extent above.

(iii) In view of the final order passed in the writ petitions, the Interlocutory Applications stand disposed of ."

13. विधि विभाग के परामर्श के आलोक में उक्त न्यायादेश के विरुद्ध L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आलोच्य वाद में दिनांक-09.03.2022 को पारित न्यायादेश का Operative portion निम्नवत है :-

"(i) The Court, after having discussed the facts in entirety as above, has gone across the order passed by the learned Single Judge and found therefrom that the learned Single Judge has also considered the implications of absorption and in view thereof, has come to conclusive finding to count the past service of the writ petitioners and passed the order holding the writ petitioners entitled for pension.

(ii) This Court, therefore, in the entirety of discussion as above, is of the view that the order passed by the learned Single Judge suffers from no error.

(iii) Accordingly, the instant appeals fail and are dismissed."

14. पुन: विधि विभाग के परामर्श से उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में S.L.P. (C) No. Diary No.-30382 of 2022 दायर किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है ।

15. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 461/2018 Shankar Prasad Keshri and others V/S The State of Jharkhand दायर किया, जिसमें निम्न Prayer किया गया :-

"(a) For issuance of an appropriate writ(s)/order(s)/direction(s) in nature of "mandamus" directing upon respondents to give the benefits of Revision of Pay 5th (w.e.f. 1996) and 6th (w.e.f. 2006) pay commission recommendation, and benefit of Pay Difference (w.e.f. the bifurcation date of BSRTC i.e. 01.07.2004), gratuity, Unutilized Leave, Pension and other benefits of Continuity of Service an past service to the erstwhile employees of BSRTC shifted to state of Jharkhand.

And/or

(b) For issuance of appropriate writ/order/ direction commanding upon the Respondents to bestow the benefits with revised pay scale as well as arrear of salary and other consequential benefits, for which the petitioners are entitiled in accordance with law."

16. Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक-23.09.2022 को पारित न्यायादेश का Operative portion - "In view of the aforesaid facts and situation and in view of the fact that the State is bent upon not to release the pensionery benefits, this Court is of the view that till the pensionery benefits are released to the petitioners, the Secretary of the Transport Department, Government of Jharkhand will not withdraw his salary till further orders."

17. सदृश्य मामले W.P.(S) No. 1631 of 2020 Lalbabu Prasad V/S The State of Jharkhand में Prayer "This Hon'ble Court may be pleased to direct the concerned respondents to pay the petitioner following post retiral benefits :-

i. Gratuity;
ii. Leave encashment;
iii. Pension, in the light of the order dated 19-12-2019 passed in W.P.(S) No. 277/2018 and other analogous case;
iv. Benefits of 5th pay revision committee recommendations w.e.f. 01-07-2004 and also benefit of 6th pay revision committee recommendation from the date applicable to the other employees of the state of Jharkhand in the light of the judgment dated 29-01-2020, passed in L.P.A. No.264/2016;
v. Difference of salay from 01-07-2004 till may retirement i.e.,31-07-2016;"

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-01.07.2020 को निम्नांकित न्यायादेश पारित किया गया :-

"The petitioner is directed to move before the respondent nos. 1 & 2 by filing fresh representation along with copy of aforesaid judgments within a period of three weeks from today. If such representation is filed within the aforesaid period, the respondent nos. 1 & 2 shall take decision in accordance with rules, regulations, guidelines particularly, looking into judgments passed by the Court in W.P.(S) No. 277 of 2018 **(Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Ors.) (Supra)** and judgment passed in **L.P.A. No. 264 of 2016 (Yogendra Mahto & Others) (Supra)** and will pass a reasoned order within a period of six weeks thereafter. It goes without saying that if the case of the petitoner is found fully covered with the aforesaid judgments rendered by this Court and authorities come to the conclusion, the benefit of the same shall be accrued to the petitioner immediiately thereafter."

18. उक्त मामले में Cont. Case (Civil) No. 475 of 2020 लालबाबू प्रसाद बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-08.07.2022 को माननीय उच्च न्यायालय में पारित न्यायादेश निम्नवत है:-"Learned counsel appearing for the petitioner submits that so far as the gratuity and pension are concerned, that have not been fixed as yet. He submits that the LPA, Preferred by the State, has been dismissed vide order dated 09.03.2022.

Even after dismissal of the LPA, preferred by the State, the pension and the gratuity have not been paid to the petitioner." माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक तथा विद्वान महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग के राय के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1331, दिनांक-15.09.2022 द्वारा श्री लालबाबू प्रसाद (सेवानिवृत) अनुसेवक का सेवांत लाभ पेंशन सहित दिये जाने की स्वीकृति दी गयी ।

19. उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰ -603, दिनांक-19.07.2016 एवं संकल्प सं॰ -61, दिनांक-25.01.2022-सह-गजट सं॰ -17, दिनांक-27.01.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त विभाग के परामर्शानुसार निम्न् निर्णय लिये गये है:-

"791 समायोजित निगमकर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना करते हुए औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा ।"

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.-Diary No. 30382 of 2022 में पारित आदेशों से उक्त निर्णय प्रभावित होगा ।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-1700, दिनांक-07.11.2022 के क्रम में दिनांक-14.12.2022 की बैठक में मद सं॰ -07 के रूप में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र हेमरोम
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 80 -- 50